

वित्तीय सहायता उपलब्ध है


अधिकतम सब्सिडी : 2.00 करोड़ रु. से अधिक नहीं होगी।

आवेदन की प्रक्रिया

<http://tenders.nddb.coop/SitePages/Tenders.aspx> पर आवेदन करें
'EOI to establish Breed Multiplication Farm' पर जाएं



आवेदक द्वारा एनडीडीबी को ईओआई जमा कराना



विस्तृत दिशानिर्देशों के लिए विभाग की वेबसाइट www.dahd.nic.in को देखें या राज्य पशुपालन विभाग से संपर्क करें।




पशुपालन और डेयरी विभाग
मत्स्य पालन, पशुपालन और डेयरी मंत्रालय
भारत सरकार



आजीविका से उद्यम विकास की ओर...

नस्ल वृद्धि फार्म में अपने लाभ की वृद्धि करें



पशुपालन और डेयरी विभाग
मत्स्य पालन, पशुपालन और डेयरी मंत्रालय
भारत सरकार

आप नस्ल वृद्धि फार्म स्थापित कर और सेक्स सॉर्टेड सीमेन या आईवीएफ (IVF) तकनीक का उपयोग करके उत्कृष्ट हीफर्स का उत्पादन कर सकते हैं

समर्थित गतिविधियाँ

गोपशु शेडों के निर्माण, संबंधित उपकरणों के लिए सहायता उपलब्ध है। तथा उत्कृष्ट बुल मर्दस आदि की खरीद

पात्र संस्थाएं

निजी व्यक्ति/स्वयं सहायता समूह (एसएचजी)/
किसान उत्पादक संगठन (एफपीओ)/
किसान सहकारिताएं (एफसीओ)
संयुक्त देयता समूह (जेएलजी) और धारा 8 की कंपनियां

पात्रता मानदंड

उद्यमी खुद प्रशिक्षित हो या परियोजना चलाने के लिए प्रशिक्षित विशेषज्ञों को नियुक्त किया हो

स्वयं की भूमि हो या लीज पर ली गई भूमि हो

नस्ल वृद्धि फार्म की स्थापना के लिए मॉडल परियोजना की सांकेतिक लागत		
क्रम सं.	विवरण	कुल लागत (लपये लाख में)
1	पहले लेक्टेशन / दूसरे लेक्टेशन में गायों की खरीद	200
2	गौशाला का निर्माण, 10 वर्गमीटर प्रति गाय के हिसाब से (शेड 200 गायों और उनके बच्चों के रहने के लिए)	100
3	आइसोलेशन शेड का निर्माण	2.5
4	प्रशासनिक ब्लॉक	20
5	चारा और चारा भंडार कक्ष	40
6	75 एचपी का ट्रैक्टर, कृषि उपकरणों के साथ	10
7	डेयरी उपकरण (बीएमसी, स्टेनलेस स्टील दूध के डिल्बे, डिजिटल मिल्को ट्रेस्टर, डीप फ्रीजर आदि)	5
8	कृषि उपकरणों के लिए शेड	22.5
9	भूसा कट्टर (इलेक्ट्रिक)	1
	कुल	401

